न्यायालय अति0जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी—रामकिशोर मीना

प्रार्थना पत्र – 25/25 तारीख रज्जू–15/01/25

1 तहसीलदार गंगापुर सिटी । —— प्रार्थी

बनाम

1. टुण्डा पुत्र नोल्या जाति बैरवा निवासी बाढकला। – अप्रार्थी

निर्णय दिनांक– 28/07/2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 नियम 14 (4) के अर्न्तगत प्रस्तुत कर अप्रार्थी को ग्राम बाढकलां के खसरा नम्बर 34 रकबा 10 बीघा में से 5 बीघा भूमि आवंटन निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थी बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है जमाबन्दी संवत् 2029–32 ग्राम बाढकलां के खसरा नम्बर 34 रकबा 10 बीघा 13 बिस्बा किस्म चरागाह दर्ज है। नामान्तकरण सं0 53 दिनांक 09.11.75 से खसरा नम्बर 34/1 रकबा 10 बीघा 13 बिस्बा में से रकबा 10 बीघा चरागाह से सिवायचक दर्ज हुई। ग्राम बाढकलॉ के खसरा नम्बर 34 रकबा 10 बीघा में से 5 बीघा भूमि टुण्डा पुत्र नोल्या जाति बैरबा को आंवटित हुई, जिसका अमल जरिये नामान्तकरण सं0 57 से खसरा नम्बर 34/2 रकबा 5 बीघा नौल्या पुत्र मनफुल बैरवा नि0 बाढकलॉ गैर खातेदार स्वीकार हुआ। मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध सं0 2039 से गत खसरा नम्बर 34/2 रकबा 5 बीघा से हाल खसरा नम्बर 25 रकबा 0.87 है0 बना है। भूप्रबन्ध खतौनी सम्बत 2039 के खाता सं0 67 पर अंकित खसरा नम्बर 25 रकबा 0.87 किस्म प्रथम बंजड टुण्डा पुत्र नौल्या बैरवा गैरखातेदार दर्ज है। ग्राम बाढकलां की वर्तमान जमाबंदी स्थायी वर्ष 2018 के खाता संख्या 132 में अंकित खसरा नम्बर 25 रकवा 0.87 है0 टुण्डा पुत्र नौल्या जाति बैरवा गैर खातेदार दर्ज है। मुताबिक खसरा गिरदावरी सम्वत् 2032 से 2079 तक पडत रही है। व सम्वत् 2030 ,2031 में फसल

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:50:38 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज है। उक्त भूमि पर आवंटी द्वारा काश्त नहीं की गई है। जो आवंटन शर्तो का उल्लधंन है, साथ ही प्रार्थी ने उक्त आवंटन आदेश निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी पक्षं की बहस सुनने, उस पर मनन करने व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी पक्ष के तथ्यों के आधार पर उक्त वाद आराजीयात अप्रार्थी को आवंटित हुई थी तथा खसरा गिरदावरी सम्वत् 2032 से 2079 तक आवंटी गैर खातेदार द्वारा काश्त नहीं की गई है। जो आवंटन शर्तो का उल्लधंन है। लेकिन प्रार्थी पक्ष द्वारा जिस आवंटन को निरस्त करने हेतु न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। उक्त आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति/छायाप्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिती में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र त्रुटिपूर्ण होने के कारण स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी को प्रार्थना इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह संबंधित आवंटन आदेश मय आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति सहित पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 28/07/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:50:38 IST
Reason: SelfAttested